महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन

महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों के विषय में
महत्त्वपूर्ण कानून

मोबाइल हाथ में 1090 साथ में

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

(Protection of Women from Domestic Violence Act 2005)

घरेलू हिंसा क्या होती है ?

महिला के साथ उसके ससुराल वालों, रिश्तेदारों एवं उनके परिवार वालों, लिव-इन पार्टनर या लिव-इन पार्टनर के परिवारवालों एवं रिश्तेदारों के द्वारा मार-पीट, गाली-गलौज, यौन उत्पीड़न, खर्च न दिया जाना, भरण-पोषण न किया जाना, नौकरी न करने देना, घर से निकाल देना, महिला को किसी से बातचीत पर प्रतिबन्ध आदि।

पीड़िता कहाँ-कहाँ शिकायत कर सकती है ?

- न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला संरक्षण अधिकारी (DPO) के समक्ष।
- स्थानीय थाने पर।
- हेल्पलाइन नम्बर 1090/112/वन स्टाप सेन्टर-181 पर फोन काल, ई-मेल या इनके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से।

पीड़िता को प्राप्त होने वाला अनुतोष (Relief)

न्यायालय पीड़िता के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित कर सकती है।

हेल्पलाइन नम्बर

1090/112/181

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
(The Dowry Prohibition Act, 1961)

अधिनियम के अन्तर्गत अपराध क्या है ?

किसी भी प्रकार से दहेज का लेन-देन।

दहेज़ क्या है ?

- विवाह में कोई सम्पत्ति या बहुमूल्य वस्तु का लेन-देन।
- अभिभावक का विवाह के समय या बाद में देने के लिए सहमत होना।

आरोपी कौन होगा ?

हर वह व्यक्ति जो दहेज लेगा या देगा या इसके लिए प्रेरित करेगा।

अपराध की शिकायत कहाँ कर सकते हैं ?

- स्थानीय थाना/मजिस्ट्रेट/जिला संरक्षण अधिकारी (DPO)।
- 1090/112/वन स्टॉप सेंटर-181

क्या सज़ा हो सकती है ?

- यह साबित करना कि अपराध नहीं हुआ है, आरोपी की जिम्मेदारी है, न कि पीड़िता की।
- दहेज मांगने पर कम से कम 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास और रू0 10,000/- (दस हजार) तक का जुर्माना।
- दहेज लेने या देने पर 05 वर्ष का कारावास और कम से कम रू0 15000/- का जुर्माना।
- दहेज लेने या देने के प्रस्ताव के प्रकाशन पर 06 माह से 05 वर्ष तक का कारावास और कम से कम रू0 15000/- का जुर्माना।

हेल्पलाइन नम्बर
1090/112

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013

(The Sexual Harassment Of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013)

पीड़ित कौन है ?

- कार्यस्थल पर किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित (Appointed) हो या नहीं, जिसका विपक्षी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न किया गया हो।
- किसी निवास या गृह के सम्बन्ध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे निवास या गृह में नियोजित हो और विपक्षी द्वारा उसका लैंगिक शोषण किया गया हो।

यौन उत्पीड़न किसे कहते हैं ?

- महिला के शरीर को छूना या छूने की कोशिश करना, यौन सम्बन्ध की मांग करना, यौन सम्बन्धी टिप्पणी, मजाक या फब्ती कसना, अश्लील चित्र या फिल्म दिखाना, यौन सम्बन्धित व्यवहार।
- महिला को नौकरी के सम्बन्ध में लालच या धमकी देकर यौन सम्बन्ध बनाने के लिये राज़ी करना या ऐसा करने के लिये अपमानजनक व्यवहार करना।

शिकायत कौन कर सकता है ?

- घटना के तीन महीने के अन्दर स्वयं पीड़िता या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो।
- पीड़िता के शारीरिक या मानसिक असमर्थ होने पर उसके नातेदार या मित्र अथवा सहकर्मी या वारिस द्वारा।

शिकायत कहां की जा सकती है ?

- आन्तरिक शिकायत समिति- जहां पर कम से कम 10 कर्मचारी हैं, वहां संस्था/कार्यालय स्तर पर गठित आन्तरिक शिकायत समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि शिकायत संस्था के खिलाफ है तो स्थानीय शिकायत समिति के पास जा सकते हैं।
- स्थानीय शिकायत समिति- प्रत्येक जिला अधिकारी अपने जिले में स्थानीय समिति का गठन करेंगे। जिन संस्थानों में 10 कर्मचारियों से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक शिकायत समिति नहीं है, उनकी शिकायतें स्थानीय शिकायत समिति द्वारा सुनी जायेंगी।
- स्थानीय थाना/महिला थाना।

जांच एवं कार्यवाही

- जांच के लम्बित रहने के दौरान पीड़ित महिला के अनुरोध पर उसको किसी अन्य कार्यस्थल में स्थानांतरण, तीन माह की अवधि तक अवकाश स्वीकृति, आदि राहत प्रदान करने का प्रावधान है।
- दोष सिद्धि पर 60 दिनों के भीतर कार्यवाही । यदि पीड़िता ज़ांच से असंतुष्ट है तो 90 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल/कोर्ट में अपील कर सकती है।

हेल्पलाइन नम्बर

1090/112

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
(The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956)

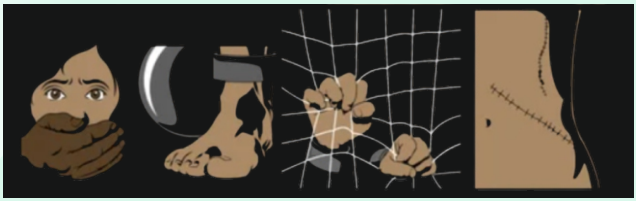

अनैतिक व्यापार क्या है ?

अनैतिक देह व्यापार के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद व बिक्री करना, उन्हें जबरन देह व्यापार में संलिप्त करना।

अधिनियम के अन्तर्गत पीड़ित कौन है ?

हर वह स्त्री, पुरुष या बालक-बालिका जिसको अनैतिक देह व्यापार के लिए खरीदा या बेचा गया हो या अन्यथा विवश किया गया हो।

अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी कौन है ?

- जो किसी भी व्यक्ति की देह व्यापार हेतु खरीद व बिक्री करने या इस कार्य में सहायता या सहयोग करता हुआ पाया जाये।
- किसी परिसर का मालिक या निवासी जो अपने परिसर के किसी भाग को अनैतिक देह व्यापार के कार्य के लिए प्रयोग करता या कराता हो।

पीड़ित शिकायत कहाँ कर सकते हैं ?

- मजिस्ट्रेट, जिला संरक्षण अधिकारी (DPO), स्थानीय थाना।
- एण्टी-ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग यूनिट(AHTU)/बाल कल्याण समिति (CWC)।
- 1090/112, चाइल्ड लाइन-1098 (नाबालिग होने पर) पर फोन कॉल, ई-मेल या इनके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से।

दोषी पाए जाने पर सजा ?

- कम से कम 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माना।
- यदि अपराध किसी बालक के साथ हुआ है तो उम्र कैद की सजा एवं जुर्माना।

पीड़ित को राहत का प्रावधान

- सुधार संस्था/संरक्षण गृह में आश्रय।

हेल्पलाइन नम्बर
1090/112/1098

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम/क़ानून (पॉक्सो) 2012

(The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012) **(POCSO)**

पीड़ित व्यक्ति कौन हो सकता है ?

बालक/बालिका जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो।

क्या-क्या अपराध परिभाषित किए गए हैं ?

- बालक/बालिका को गंदी मानसिकता से छूना या छूने का दबाव बनाना, किसी भी रूप में शारीरिक/यौनिक सम्बन्ध बनाना या बनवाना।
- बालक/बालिका का सोशल मीडिया पर या फ़ोन पर पीछा करना, पूरी या अर्धनग्न तस्वीरें/वीडियो बनाना, दिखाना या उसका संग्रहण।
- बालक/बालिका के साथ किसी भी प्रकार की हरकत एवं मौखिक रूप से अश्लील टिप्पणी करना।

शिकायत कौन दर्ज कर सकता है ?

बालक/बालिका स्वयं या उनके माता पिता, मित्र, अभिभावक या कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो।

अपराध होने पर एक व्यक्ति की क्या कानूनी बाध्यता है ?

कोई भी व्यक्ति जिसको पॉक्सो कानून के अन्तर्गत, बालक/बालिका के साथ अपराध होने की जानकारी है, वह व्यक्ति घटना की शिकायत दर्ज कराने के लिए बाध्य है।

शिकायत कहां की जा सकती है ?

- स्थानीय थाना, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति (CWC)
- चाइल्ड लाइन-1098/वन स्टॉप सेंटर-181/1090/112 पर फोन काल, ई-मेल या इनके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से।
- जन सुनवाई पोर्टल (IGRS)

कितनी सजा हो सकती है ?

- कम से कम दो वर्ष की सज़ा से लेकर आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड तक की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान।
- पीड़ित को मुआवजा/पुनर्वासन का प्रावधान।

हेल्पलाइन नम्बर

1098/112/1090

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
(Child Marriage Prohibition Act, 2006)

बाल विवाह किसे कहते हैं ?

18 वर्ष से कम आयु की लड़की / 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह "बाल विवाह" कहलाएगा।

आरोपी कौन होगा ?

- 18 वर्ष या अधिक आयु का पुरुष जो 18 वर्ष से कम आयु की बालिका से विवाह करेगा।
- 18 वर्ष से कम आयु की बालिका/21 वर्ष से कम आयु के बालक के माता-पिता या संरक्षक जिन्होने ऐसे बालक या बालिका का विवाह कराया।
- जिसने बाल विवाह सम्पन्न या संचालित किया हो या बढ़ावा या सहयोग दिया हो।

पीड़ित व्यक्ति को कानून में क्या राहत मिल सकती हैं ?

- सम्पन्न विवाह को शून्य करने का आदेश।
- घर में रहने / भरण पोषण का आदेश।

शिकायत कहाँ की जा सकती है ?

- स्थानीय थाना/बाल कल्याण समिति (CWC)/ जिलाधिकारी ।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ।
- जनपदीय न्यायालय/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (DPO)।
- चाइल्ड लाइन-1098/1090/112 पर फोन कॉल, ई-मेल या इनके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से।
- जन सुनवाई पोर्टल (IGRS)।

दोषी पाए जाने पर सज़ा

3 माह तक का कारावास और जुर्माना या दोनों।

हेल्पलाइन नम्बर
112/1090/1098

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2015

(The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act)

इस कानून में बच्चों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है

- वह बच्चे जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, जैसे - भीख माँगने वाले एवं लावारिस बच्चे आदि। इसमे बच्चे के हित को देखते हुए बाल कल्याण समिति (CWC) समुचित आदेश देती है।
- वह बच्चे जो किसी अपराध में शामिल हों - इनसे सम्बंधित मामलों में किशोर न्याय बोर्ड समुचित आदेश पारित करता है।

बच्चे की उम्र के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज

- जन्म प्रमाण-पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- चिकित्सा जांच से निर्धारित आयु।

हेल्पलाइन नम्बर

1098/112

भारतीय दण्ड विधि में महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराध एवं उनके दण्ड

- **किसी लोक स्थान में अश्लील कार्य, गाने, छींटाकसी आदि - (धारा 294)**
  - 3 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।

- **दहेज मृत्यु - यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर अप्राकृतिक ढंग से हुई हो और मृत्यु के पूर्व उस महिला के साथ क्रूरता की गई हो और दहेज की मांग की गई हो। - (धारा 304बी)**
  - दस वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना।

- **स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना - (धारा 313)**
  - 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना।

- **गर्भपात के आशय से किए गये कार्यों द्वारा स्त्री की मृत्यु - (धारा 314)**
  - 10 वर्ष तक और जुर्माना।
  - स्त्री की सम्मति के बिना - आजीवन कारावास तक।

- **अम्ल (तेजाब) आदि से स्वेच्छया गम्भीर क्षति/अम्ल फेंकना या प्रयत्न करना - (326ए/326बी)**
  - क्षति होने पर न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माना।
  - अम्ल फेंकने या प्रयत्न करने पर 5 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माना।

- **स्त्री की लज्जा भंग के आशय से उस पर हमला या बल प्रयोग - (धारा 354)**
  - एक वर्ष से लेकर 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना।

- **लैंगिक उत्पीड़न - (धारा 354ए)**
  - 3 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों।

- **विवस्त्र करने के आशय से किसी महिला पर हमला या बल प्रयोग - (धारा 354बी)**
  - 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना।

- **एकांत मे किसी प्राइवेट कार्य मे लगी महिला को देखना या उसकी फ़ोटो खींचना और उन्हे प्रसारित करना/दृश्यरतिकता (Voyeurism) - (धारा 354सी)**
  - एक वर्ष से लेकर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, पुनः अपराध करने पर 7 वर्ष तक।

भारतीय दण्ड विधि में महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराध एवं उनके दण्ड

- **महिला की अनिच्छा के बावजूद उसका पीछा करना, इण्टरनेट अथवा ई-मेल आदि इण्टरनेट विधि से मानीटर करना -(धारा 354डी)**
  - 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

- **विवाह आदि के लिये विवश करने के लिये किसी महिला का अपहरण -(धारा 366/366ए/366बी)**
  - 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

- **वेश्यावृत्ति के लिये नाबालिग को बेचना/खरीदना -(धारा 372/373)**
  - 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

- **बलात्कार - यदि कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसको भय में डालकर या धोखा देकर अथवा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ संबंध बनाता है, तो यह बलात्संग/बलात्कार कहलाता है। -(धारा 376)**
  - भारतीय दण्ड विधान की धारा 376, 376-ए, 376-एबी, 376-सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी और 376ई में विभिन्न परिस्थितियों में पुरुष द्वारा किये गए बलात्कार के अपराध के लिये दण्ड का प्रावधान है ।
  - यह दण्ड 5 वर्ष का कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक और जुर्माना भी हो सकता है।
  - पृथकता के दौरान अपनी **पत्नी** के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने पर 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

- **किसी स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता -(धारा 498ए)**
  - 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

- **शब्द, अंगविक्षेप, ध्वनि से या अन्य कोई ऐसा कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये आशयित हो -(धारा 509)**
  - 3 वर्ष तक का सादा कारावास और जुर्माना।

महिला हिंसा से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु विभिन्न फोरम/हेल्प लाइन नम्बर

- महिला हेल्पलाइन- 1090
- पुलिस आपातकालीन सेवा-112
- CM हेल्पलाइन नम्बर-1076
- www.jansunwai.up.nic.in पोर्टल
- वन स्टाप सेन्टर - 181
- चाइल्ड हेल्प लाइन - 1098
- साइबर हेल्प लाइन - 1930
- स्थानीय थाने की महिला हेल्प डेस्क।
- जिला संरक्षण अधिकारी (CWC)
- राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग।
- जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
- प्रत्येक थाने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियां के सम्पर्क नम्बर उपलब्ध हैं।

1090
वीमेन पॉवर लाइन

112
पुलिस आपातकालीन सेवा

1076
CM हेल्पलाइन नंबर

181
महिला हेल्पलाइन

1098
चाइल्ड हेल्पलाइन

1930
साइबर हेल्पलाइन

1090

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय

1090 चौराहा, लोहिया पथ, लखनऊ - 226001

0522-2205790 9454458215